

तारीख
हुक्म

पीठासीन अधिकारी के छोटे हस्ताक्षर सहित आदेश

3

1.4.26

अभिभाषकाग 34244 कान 34. वृद्ध अंतिम
उत्तरों की जो भोजनावकाश तक भी अपूर्ण
रही तथा भोजनावकाश के बाद स्थायी लोच
अदालत में सिटिंग है। अतः पत्रावली
वाले दोष वृत्त दि. 4/4/26 को
पेश हो।

जिला न्यायाधीश
सवाई माधोपुर (राज.)